



2026:AHC:14735

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 44299 / 2025

कृपाल सिंह

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्षगण

आवेदकगण के अधिवक्ता	: कमरुल इस्लाम सिद्दीकी, वीरेंद्र सिंह तोमर
विपक्षी पक्षगण के अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता,

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

श्री वीरेंद्र सिंह तोमर, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री विजेंद्र कुमार त्रिपाठी को सुना गया और वाद के अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

वर्तमान जमानत आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत आवेदक कृपाल सिंह की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 49 सन् 2025, मादक द्रव्य एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 8/18, थाना मीरापुर, जनपद मुजफ्फरनगर में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि आवेदक के खेत से 7 किलोग्राम डोडा पोस्त की बरामदगी दर्शाई गई है, जो वाणिज्यिक मात्रा से कम है। वस्तुतः आवेदक से कोई ऐसी बरामदगी नहीं हुई है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि उक्त बरामदगी किसी स्वतंत्र गवाह द्वारा समर्थित नहीं है, अतः अभियुक्त को झूठा फंसाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है तथा उसे अनावश्यक उत्पीड़न और प्रताड़ना देने के उद्देश्य से इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। आवेदक दिनांक 29.03.2025 से कारागार में निरुद्ध है तथा उसके विरुद्ध केवल एक आपराधिक प्रकरण है, जो

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



वाणिज्यिक मात्रा से कम है, अतः वह जमानत पर रिहा किए जाने का पात्र है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

इसके विपरीत विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना का विरोध करते हुए यह तर्क दिया कि अभियुक्त की निर्दोषता का निर्धारण विचारण (ट्रायल) से पूर्व नहीं किया जा सकता, जबकि वह अवैध मादक पदार्थों की आपूर्ति में संलिप्त है, अतः वह किसी प्रकार की राहत का पात्र नहीं है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह पुनः इसी प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त हो सकता है।

प्रकरण के तथ्यों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक अधिकार, आरोपों की प्रकृति, उनके समर्थन में उपलब्ध साक्ष्यों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में संभावित दण्ड की गंभीरता, अभियुक्त-आवेदक के चरित्र, उससे संबंधित विशिष्ट परिस्थितियों, विचारण के दौरान अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित होने की संभावना, गवाहों से छेड़छाड़ की युक्तिसंगत आशंका, जनहित/राज्य के व्यापक हित तथा अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, तथापि वाद के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय मानता है कि यह जमानत प्रदान किए जाने का उपयुक्त मामला है।

तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है।

अतः आवेदक **कृपाल सिंह**, जो उपर्युक्त वाद अपराध में संलिप्त है, उसे व्यक्तिगत मुचलका एवं समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, जो संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार हों, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

1. आवेदक जांच या विचारण के दौरान गवाहों को भयभीत/दबाव में लाकर अभियोजन साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक बिना किसी अनावश्यक स्थगन की मांग किए, विचारण में ईमानदारीपूर्वक सहयोग करेगा।
3. आवेदक जमानत पर रिहा होने के पश्चात किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।



उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।
जमानत बंधपत्र स्वीकार करने से पूर्व आवेदक एवं जमानतदारों की पहचान, स्थिति एवं निवास का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांक : 21 जनवरी, 2026

रविप्रकाश

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव,)

Translated Version. Not For Legal Use.